


तारीख  
हुक्म  
04.11.2025

सुनीती वनाप रजोदमल  
हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज  
दण्ड पत्रावली आज पेश हुई। 148/2025  
वादीया मय

पक्षकारान अनुपरिथत एंव वकील प्रतिवादीगण अनुपरिथत।  
प्रकरण में कोर्ट समाप्ति तक वकील प्रार्थीया मय पक्षकारान व  
वकील प्रतिवादीगण को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलाई  
गई। बावजूद आवाजों के भी वकील प्रार्थीया मय पक्षकारान व  
वकील प्रतिवादीगण हाजिर अदालत नहीं आये है।

अतः वकील प्रार्थी व पक्षकारान एंव वकील  
प्रतिवादीगण की अनुपरिथती में दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी  
में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद  
तकमील दाखिल दफतर हो।

  
( अनिल कुमार )  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीमाधोपुर (सीकर)

